

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.(5) 236 / निपेवि / विभाग / 2012 / प.ए.ए. / 3462-3662 H दिनांक : 24-11-2015  
परिपत्र

**विषय :-** पेंशनर के विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच समाप्त करने की कार्यवाही तत्काल करने के सम्बन्ध में।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि जिन मामलों में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित होती है, उन मामलों में प्रोविजनल पेंशन अधिकृत की जाती हैं, पेंशनर के पति/पत्नी के नाम प्रो० पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जाती है, जिसके कारण पेंशनर की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ नहीं होने पर पेंशनर के पति/पत्नी को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 61 (ख) एवं 90 के अन्तर्गत ऐसे मामलों में केवल 100 प्रतिशत प्रो० पेंशन अधिकृत करने का ही प्रावधान है। विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण निर्णित होने के बाद विभाग द्वारा अंतिम पेंशन प्रकरण भिजवाने पर पेंशन विभाग द्वारा सभी पेंशनरी लाभ अधिकृत किए जाते हैं जिनमें पारिवारिक पेंशन भी सम्मिलित है। विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण निर्णित होने से पूर्व पेंशनर की मृत्यु के मामलों में कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र संख्या प.9 (2) (155) कार्मिक (क-3) / 97 दिनांक 16.03.1998 (प्रति संलग्न) द्वारा ब्यादिष्ट किया गया है कि मृतक राज्य कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई जांच लम्बित हो तो उसे समाप्त करने की कार्यवाही की जावे, संयुक्त जांच की स्थिति में मृतक राज्य कर्मचारी के अलावा अन्य के विरुद्ध जांच कार्यवाही यथावत चालू रहेगी।

अतः पेंशनर की मृत्यु की सूचना मिलने पर कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के सन्दर्भ में अनुशासनिक अधिकारी को जांच समाप्त करने की कार्यवाही करने हेतु सूचना तत्काल भिजवाने तथा जांच समाप्त होने के उपरान्त शीघ्र अंतिम पेंशन प्रकरण भिजवाने की व्यवस्था की जावे ताकि पेंशनर के पति/पत्नी की पारिवारिक पेंशन यथा शीघ्र प्रारम्भ हो सके।


भवदीय

संलग्न:-1 (घज़ ३ पीछे)

६०  
(कें.के.गैडियोक)  
निदेशक

क्रमांक : प.(5) 236 / निपेवि / विभाग / 2012 / प.ए.ए. / 3462-3662-H दिनांक : 24-11-2015  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव.....
2. ~~समस्त~~ विभागाध्यक्ष .....
3. समस्त जिला कलेक्टर्स.....

  
निदेशक



208

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-3) विभाग

16 MAR 1998

क्रमांक: प. 8(2)(155)कार्मिक/क-3/97

जयपुर, दिनांक

परिपत्र

समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव,  
समस्त विशिष्ट शासन सचिव,  
समस्त संभारीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष (सय समस्त जिला कलक्टर)

विषय:- मृतक राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध जांच को समाप्त करने के क्रम में।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि राज्य कर्मचारी/ अधिकारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् भी काफी समय तक उनके विरुद्ध जांच को समाप्त नहीं किया जाता है, जिससे राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के आश्रितों को पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाता है।

इस परिपत्र के द्वारा समस्त सम्बन्धितों को ब्यादिष्ट किया जाता है कि मृतक राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई जांच लम्बित हो तो उसे तत्काल समाप्त करने की आवश्यक कार्रवाई करें, परन्तु एक से अधिक कर्मचारियों/ अधिकारियों की संयुक्त जांच होने की स्थिति में मृत राज्य सेवक के अलावा अन्य के संदर्भ में जांच कार्रवाई यथावत रहेगी।

B.C

62/146  
20/1

P.C  
30/1

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten signature*  
शासन उप सचिव

निदेशात्मक पेंशन एवं पेंशनर्स वेल्फेयर विभाग  
जयपुर-302006  
13049

*Handwritten notes:*  
यहाँ की प्रकृतियों को विभाग के  
संयुक्त/विभागीय शासन के द्वारा उपर्युक्त  
सूचित किया जाना है।